

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक— ३२९९ /FP/UK/ROAD/10131/2015 :देहरादून:दिनांक: २७ मार्च, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्गठन योजना के अन्तर्गत पोखरी—काण्डाई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.35 हेक्टेएर वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाइन फाईल संख्या— FP/UK/ROAD/10131/2015)

संदर्भ:-भारत सरकार की पत्र संख्या— Misc/II/ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 06—11—2015.

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की मूल प्रति व प्रस्ताव के ऑनलाइन भरे गये प्रपत्र पार्ट—1, पार्ट—2, पार्ट—3, पार्ट—4 एवं पार्ट—5 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

(अनूप मलिक)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी।

संख्या ३२९९ /FP/UK/ROAD/10131/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभारी सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनूप मलिक)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी।